न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र, (आर.ए.एस.)

मैनुअल प्र.सं. :01 / 2024

जीसीएमएस : 2024 / 11

जसविन्द्र कौर पत्नी स्व.श्री जगसीर सिहं जाति जटसिख निवासी 12 पीटीडी (छोटा लालपुरा) तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ (राज0)

—अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत मोहकमवाला प.स. रायसिंहनगर जरिए सरपंच ग्राम पंचायत मोहकमवाला पं. स. :—तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
2. कुलवन्त कौर पत्नि स्वत्र श्री सुबासिहं जाति जटसिख निवासी 3 डी.डी.बी. तहसील घड़साना जिला श्री अनूपगढ़।

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

रजू दिनांक 16.01.2024

उपस्थिति :—

1.श्री गुरप्रताप सिंह, अधिवक्ता अपीलांट

2.श्री प्रीतमसिहं गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2

3. श्री सोहनलाल जोशी, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 3

—: **निर्णय** :—

दिनांक : 23.04.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि — अपीलान्ट अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट के पुत्र सुबा सिहं पुत्र जगसीर सिहं के नाम से वाके चक 1 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 48 / 25 के प. न. 262 / 360 के मु.न. 16 के कि.न. 1 / 2 के .228, 2 ता 5 प्रत्येक .253 , 18 / 1 के .190, 19 / .253, 20 / 1 .228, 21 / 1 के .227, 22 ता 25 के 0.253 कुल खाता योग 3.150 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि थी, सुबा सिहं ग्रामीण क्षेत्र का भोला—भाला किसान था जिसे पढ़ना—लिखना नहीं आता था ओर ना ही कानून कायदे की जानकारी थी ओर रेस्पोडेन्ट कुलवन्तकौर सुबासिहं की धर्मपत्नी है जिसके द्वारा हमेशा से अपने पति से झगड़ा फसाद कर कभी भी अपने पत्नी धर्म की पालना निष्ठा व ईमानदारी से न कर घर का वातावरण क्लेशपूर्ण रखा ओर अक्सर रूठकर अपने पीहर चली जाती जिसे सुबा सिहं किसी न किसी तरह से मनाकर लाता और काफी तनाव में रहता तथा कुलवन्तकैर के आचारण से सुबा सिहं के मन , दिल व दिमाग पर बुरा असर पड़ा ओर सदमें व तनाव में आकर अत्याधिक शराब पीने लगा जिससे उसकी मानसिक व शारीरिक स्थिति खराब हो गई जिसका बेजा नाजायज लाभ उठाते हुये सुबा सिहं की अज्ञानता व अनभिज्ञता में उसे धोखा में रखकर कुलवन्तकौर ने अपने भाई से मिलीभगत कर विवादित भूमि हडपने की साजिश करते हुये साजिशाना तरीके से राजीनामा की लिखित करवाने की आड़ में सुबा सिहं से कुलवन्तकौर ने अपने पक्ष में तथाकथित नुमाईशी कुटरचित दिखावटी व विधि विरूद्ध व साजिशाना बैयनामा दिनांक 26.7.2019 अपने [illegible] निष्पादित व पंजीकृत करवाते हुये सुबा सिहं की मृत्यु उपरान्त अपीलान्ट को प्राप्त विरास्तन हक [illegible] व वंचित करने के आशय से पटवारी हल्का एवं सरपंच से साज[illegible] मिलीभ[illegible] कुलविन्द्रकौर ने अपने पक्ष में नामान्तरकरण (इन्तकाल) [illegible] तथाकथि[illegible] दिनांक 26.07.2019 दर्ज करवा दिनांक 05.01.2024 को स्वीकृत [illegible] लिया ग[illegible] [illegible]थित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील माननीय न्यायालय [illegible] आधारों पर पेश है:—

यह कि अधीनस्थ न्यायालय का इन्तकाल [illegible] दिनांक 05.01.2024 साक्ष्य , विधिक प्रकिया ,विधिक प्रावधानों , प्राकृतिक न्यायिक सिद्वाती व न्यायिक सिद्वांतो के [illegible] अवैध व त्रूटिपूर्ण व गलत होने के कारण काबिल अपास्त है। पटवारी हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.05.15 11:56:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

द्वारा उक्त इन्तकाल दर्ज करते समय व ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व प्रस्तुत कथित दस्तावेज की वैधता की जॉच नहीं की गई ना ही कब्जा के बारे में कोई जॉच की गई। जिसके अभाव में अमलदरामद कर भारी कानूनी भूल की है। जो काबिल निरस्ती के है। तथाकथित बैयनामा कुलविन्द्रकौर रेस्पोडेन्ट ने अपने भाई व हितबद्व व्यक्तियों से मिलीभगत , दुरभिसंधि व साज–बाज कर साजिशाना तौर पर अपीलांट के पुत्र यानि अपने पति सुबा सिहं की अनपढ़ता व उसकी खराब शारीरिक व मानसिक दशा का नाजायज लाभ उठाते हुये सुबा सिहं को धोखा में रखते हुये उसकी अज्ञानता व अनभिज्ञता मे बिना किसी प्रतिफल दिये व बिना किसी कब्जे के आदान–प्रदान किये विधि विरूध , कूटरचित , फर्जककारी करके, दिखावटी व नुमाईशी व साजिशाना तरीके से अपने पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत करवाया गया है, विवादित रकबा पर सुबा सिहं अपनी मृत्यु तक स्वयं काबिज काश्त रहा और सुबा सिहं के मरने उपरान्त उसके वारिसान अपीलान्ट आदि निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। पटवारी हल्का व सरपंच उक्त इन्तकाल बिना जॉच के दर्ज कर स्वीकृत कर दिया जाने से अपीलाधीन इन्तकाल काबिल निरस्ती के है। विवादित रकबा पर खातेदार सुबा सिहं अपनी मृत्यु तक स्वयं उसके देहान्त उपरान्त विरास्तन उत्तराधिकारी की हैसियत से अपीलांट निरन्तर , लगातार साधिकार काबिज काश्त चली आ रही है इन समस्त तथ्यों का भलीभांति ज्ञान व जानकारी होने के बावजूद उन्हें जानबूझकर अनदेखा कर सही हालात व तथ्यों छिपाते हुये एवं अपीलान्ट को बिना सुने उनकी अनुपस्थिति में एकतरफा रूप से इन्तकाल स्वीकृत किया जाने रेस्पोडेन्ट कुलविन्द्रकौर आगे अंतरित करने की कुचेष्टा में है, जो विधि विरूध व नियम विरूध होने के अपीलाधीन इन्तकाल कारण काबिल निरस्ती के है। रेस्पोडेन्ट कुलविन्द्रकौर पति सुबा सिहं को बिमारी की हालत मे छोडकर उसकी मृत्यु से कुछ अरसा पूर्व ही अपने पीहर 3 डी.डी. बी में निवास कर रहीं हैं, उसका कब्जा विवादित रकबा पर कभी नहीं रहा है ना ही वर्तमान में है। जो विधि विरूध व नियम विरूध होने के अपीलाधीन इन्तकाल कारण काबिल निरस्ती के है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण (इन्तकाल) सरपंच ग्राम पंचायत मोहकमवाला दिनांक 05.01.2024 नामान्तरकरण रजिस्टर (इन्तकाल) सं. 326 की रूह से विवादित भूमि वाके चक 1 एल पी एम तहसील रायसिंहनगर के खाता न.48/25 के प.न. 262/360 मु.न. 16 के कि.न. 1/2 के0.228, 2 ता 5 प्रत्येक 0.253 है0 , 18/1 के 0.190है0, 19/0.253, 20/1 के 0.228, 21/1के 0.227, 22 ता 25 की 0.253 है0 कुल योग 3.150है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का रेस्पोडेन्टस कुलविन्द्रकौर के पक्ष में कथित बैयनामा दिनांक 26.07.2019 की रूह से अमल दरामद कर इन्तकाल स्वीकृत किया गया , को अपास्त फरमाये जाकर मृतक खातेदार सुबासिहं के वारिसान अपीलान्ट आदि के पक्ष में विरास्तन नामान्तरण दर्ज कर स्वीकृत करने के आदेश दिये जावे।

अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 2,की ओर से श्री प्रीतमसिहं गिल अधिवक्ता , रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से श्री सोहनलाल जोशी अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट के द्वारा अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र व अन्तर्गत 96 सीपीसी का प्रस्तुत किये हैं।

रेस्पोडेन्ट सं. 2 रिकॉर्ड प्रस्तुत न करके जबाव स्थगन प्रार्थना–पत्र एवं ऐतराजजात प्रस्तुत किया कि अपीलाधीन नामान्तरण वैध व पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा दिनांक 26.07.2019 के आधार पर कब्जे की जॉच कर नियमों व विधिक प्रावधानों की पालना में दर्ज होकर मिन रेस्पोडेन्ट के समक्ष पेश होने पर विधि सम्मत तरीके से ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृत किया गया । अन्य तथ्य सारहीन होने के कारण काबिल निरस्ती के हैं। दस्तावेज बैयनामा एक पंजीकृत [illegible] अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज कर स्वीकृत करने तक किसी भी सक्षम सिविल [illegible] प्रभावहीन , अवैध या निरस्त नही किया गया ना ही स्थगन आदेश [illegible] किया गया । इसलिये अपील अपीलान्ट आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने क[illegible] काबिज निरस्ती के है। विक्रेता द्वारा बैयनामा की रूह से विक्रित भूमि [illegible] अधिकार प्रतिफल पेटे क्रेता के पक्ष में अंतरित हो जाने उपरान्त अपीलांट [illegible] रकबा में कोई हित व अधिकार निहित नहीं होने से पक्षकार नहीं थी ना ही अपीलान्ट की ओर से बैयनामा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.05.15 11:56:38 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

प्र.सं. 01 / 2024 अनवान जसविन्द्रकौर
बनाम सरकार आदि धारा 75एल.आर.एक्ट

26.07.2019 के बाद नामान्तरण दर्ज होकर स्वीकृत होने तक के अरसा करीब साढे 4 साल तक इस संबंध में कोई ऐतराज पेश किये गये ना ही उसे विक्रित रकबा में कोई हक व अधिकार निहित होने से उसके आवश्यक पक्षकार होने से उसे सुनने के लिये आवश्यक साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तोवज या आधार ही पेश किये गये जिसके अभाव में भी अपील अपीलान्ट चलने योग्य नहीं है। अपीलान्ट ने विक्रित रकबा में अपने हित व अधिकार निहित होने के संबंध में किसी भी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश / निर्णय भी पेश नहीं किये , इसलिये नामान्तरण विधि सम्मत होने व विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों की पालना में दर्ज होकर स्वीकृत होने से अपील अपीलान्ट काबिल निरस्ती के है। जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है तो वैद्य व पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा में विक्रेता द्वारा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करते हुये विक्रित रकबा का कब्जा क्रेता को सुपुर्द करना उल्लेखित है और राजस्व पटवारी द्वारा भी कब्जे की जॉच कर ही नामान्तरण दर्ज किया गया जिसके आधार पर ही मिन रेस्पोडेन्ट ने बैठक में सर्व सम्मति से नामान्तरण स्वीकृत किया । इसलिये भी अपील अपीलान्ट काबिल निरस्ती के है। अपीलान्ट मृतक विक्रेता की माता है जिसका विक्रित रकबा पर कब्जा हो ऐसी कोई साक्ष्य मिन रेस्पोडेंट के समक्ष नहीं आई ना ही कब्जे के विवाद को लेकर कोई साक्ष्य या ऐतराज मिन रेस्पोडेंट के समक्ष आये। उक्त नामान्तरण नियमानुसार व विधिक प्रक्रिया व प्रावधानो की पूर्ण पालना करते हुये दर्ज होने उपरान्त मिन रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसमें किसी प्रकार से कोई अनियमिता नहीं बरती गई।इसलिये अपील अपीलान्ट काबिल निरस्ती के है। बैयनामा दिनांक 26.07.2019 व पंजीयन के रोज विक्रित रकबा बैंक के अधीन रहनकृत होने से क्रेता के पक्ष में विक्रित रकबा नामान्तरित नही हो सका, विक्रित भूमि के रहनमुक्त होने का नामान्तरण सं. 324 दिनांक 01.12.2023 दर्ज होकर स्वीकृत होने उपरान्त क्रेता ने अपने पक्ष में बैयनामा की रूह से नामान्तरण दर्ज करवाने की प्रक्रिया आरंभ करने पर समस्त प्रक्रिया व प्रावधानों की पालना में अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज होकर स्वीकृत हुआ । उक्त नामान्तरण विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट काबिल निरस्ती के है। अतः अपील अपीलान्ट मौजूदा स्तर पर खारिज फरमायी जावे। रेस्पोडेन्ट सं.3 ने जबाव प्रस्तुत न करके रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा प्रस्तुत जबाव पर ही अपनी सहमति दी है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में पूर्व कथनों को दोहराया तथाा कथन किया कि विवादित भूमि अपीलान्ट के पुत्र मृतक सूबा सिहं के नाम से कृषि भूमि खातदारी थी। रेस्पोडेन्ट सं. 3 कुलवन्तकौर उसकी पत्नि थी। जो हमेशा अपने पति से झगड़ा फसाद कर रूठ कर पीहर चली जाती थी। जिससे सूबा सिहं काफी तनाव में आकर अत्याधिक शराब पीने लगा जिससे उसकी मानसिक व शारीरिक स्थिति खराब हो गई जिसका बेजा नाजायज लाभ उठाते हुये सुबा सिहं की अज्ञानता व अनभिज्ञता रख कर रेस्पोडेन्ट कुलवन्तकौर ने अपने भाई से मिलीभगत कर विवादित भूमि का बैयनामा दिनांक 26.07.2019 को अपने पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत करवा कर इन्तकाल भी अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया। जो कूटरचित मिलीभगत से करवाया गया है। जबकि उक्त भूमि पर मृतक सूबा सिहं की माता अपीलान्ट का हक बनता था। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार कर उक्त इन्तकाल निरस्त फरमाया जाकर मृतक सूबा सिहं के वारिसान के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये जावे। रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जबाव ऐतराज में अंकित तथ्यों को दोहराया कि अपीलाधीन नामान्तरण वैघ व पंजकृत दस्तावेज बैयनामा दिनांक 26.07.2019 के आधार पर कब्जे की जॉच कर ग्प्रम पंचायत की बैठक में स्वीकृत किया गया। दस्तावेज बैयनामा एक पंजीकत दस्तावेज है जिसे अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज कर स्वीकृत करने तक किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा प्रभावहीन , अवेध या नि[illegible] किया गया ना ही स्थगन आदेश अपीलान्ट की ओर पेश किया गया। इसलिये अपील अपीलान्ट आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। विक्रेता द्वारा बैयनामा की रूह से विक्रित भूमि के समस्त हित व अधिकार प्र[illegible] जाने उपरांत अपीलान्ट के विक्रय रकबा में कोई [illegible] होने से पक्षकार नहीं थी ना ही अपीलान्ट की ओर से बैयनामा दिनांक 26.07.2019 के बाद नामान्तरण दर्ज होकर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.05.15 11:56:38 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

कृत हुआ है। उक्त बैयनामा के विरूद्व अपीलान्ट ने किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया। उक्त बैयनामा में विक्रेता ,द्वारा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा क्रेता को सुपुर्द किया है। उसके पश्चात् ही राजस्व पटवारी ने नामान्तरण जॉच कर दर्ज किया जाकर रेस्पोडेन्ट के द्वारा स्वीकृत किया गया है। बैयनामा दिनांक 26.07.2019 के निष्पादन व पंजीयन के रोज उक्त रकबा बैंक के अधीन रहनकृत होने से क्रेता के पक्ष में नामन्तरण नही हो सका। रहन मुक्त होने पर नामान्तरण सं. 324 दिनांक 01.12.2023 दर्ज होकर स्वीकृत हुआ। उक्त इन्तकाल समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त स्वीकृत किया गया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

—:आदेश:—

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत मोकमवाला के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बैठक में ही उक्त इन्तकाल बैयनामा पंजीकृत के आधार पर स्वीकृत किया गया। प्रस्तुत इंतकाल सं. 326 दिनांक 05.01.2024 के द्वारा भूमि जरिए बैयनामा पंजीकृत कुलवन्तकौर के नाम से दर्ज किया गया। जो ग्राम पंचायत की बैठक में तस्दीक होना रेस्पोडेन्ट सं. 2 अपने जबाव में स्वीकार करता है। उक्त इन्तकाल स्वीकृत करना भी स्वीकार करते है। पंजीकृत बैयनामे के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में नामान्तरणकरण स्वीकृत किया गया है। इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत मोकमवाला द्वारा कोई विधिक त्रुटिकारित नहीं की है। अपील अस्वीकार करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.05.15 11:56:38 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner